

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 23.05.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-16 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना खोड़ारे पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. थाना परसपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. प्रवेश कुमार पुत्र रामधीरज यादव नि0 ग्राम पुरवा घाट सकतपुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-221/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत विधिक कार्यवाही की गयी।

02. थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. घनश्याम पुत्र विश्राम नि0 ग्राम दुल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-235/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत विधिक कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 23.05.2023

जानलेवा हमला करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त नाजायज चाकू बरामद—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुकम में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर जानलेवा हमला करने के वांछित अभियुक्त चन्दन सिंह उर्फ भोलू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। उक्त अभियुक्त ने दिनांक 15.04.2023 को आपसी विवाद के चलते वादी कुंवर सिंह पुत्र बिन्देश्वरी नि0 रघुनाथपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के भाई को चाकू मार दिया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. चन्दन सिंह उर्फ भोदू पुत्र नरसिंह नि0 ग्राम रघुनाथपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—185/23, धारा 307,504,506,34 भादवि व 4/25 आर्स ऐक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद नाजायज चाकू।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ0नि0 विवेक कुमार मौर्य मय टीम।